4/3/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
उपस्थित नहीं। वकील वादी होते
नहीं होने से वकील वादी को
न्यायालय समय समाप्ति तक
पुनः आवाज लगाई गई किन्तु
उपस्थित नहीं। वकील प्रतिवादी व पेश
नहीं। अधिवक्ता वादी। प्रतिवादी
उपस्थित नहीं होने से इनके
विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल
में लाई जाती है। अधिवक्ता वादी
का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,
53,188 राज० काश्त० अधिनियम
1955 के अंतर्गत खारिज। आदेश पत्रावली
में ग्रहण किया जाता है। पत्रावली
की पालना निर्धारित इन्द्राज करने
के बाद कार्यालय
अभिलेखागार निर्णय जाने
निर्णय मुझे न्यायालय में लिखाये
जाकर सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Scanned by CamScanner